पत्र सं०– वि॰प्रा॰ एवं त०शि०वि० (IV) यो०–43/2020–

बिहार सरकार

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार
वीरचन्द पटेल मार्ग,पटना।

पटना, दिनांक –

विषय :– विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित इंदिरा गाँधी विज्ञान परिसर–तारामंडल, पटना के परिसर में अवस्थित अतिथि गृह (G+2) में लिफ्ट अधिष्ठापन एवं पाँच वर्षो के लिए संचालन, रख–रखाव के लिए कुल रू० 67,42,804.00 (सड़सठ लाख बयालीस हजार आठ सौ चार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश :– स्वीकृत।

राज्य सरकार ने अभियंता प्रमुख –सह– अपर आयुक्त –सह– विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–7832(भ) अनु०, दिनांक–21.08.2025 के माध्यम से उपलब्ध कराये गए अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर दिनांक–01.09.2025 को सम्पन्न विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक में की गई अनुशंसा के आलोक में इंदिरा गाँधी विज्ञान परिसर–तारामंडल, पटना के परिसर में अवस्थित अतिथि गृह (G+2) में लिफ्ट अधिष्ठापन हेतु civil work के लिए कुल रू० 27,42,800.00 (सत्ताईस लाख बयालीस हजार आठ सौ रूपये) मात्र तथा SITC सहित पाँच वर्षो के रख–रखाव हेतु कुल रू० 40,00,004.00 (चालीस लाख चार रूपये) मात्र अर्थात् कुल रू० 67,42,804.00 (सड़सठ लाख बयालीस हजार आठ सौ चार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है।

2. उक्त स्वीकृत राशि का वहन, वित्तीय वर्ष 2025–26 में मांग सं०–03 के अन्तर्गत स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय बजट के मुख्यशीर्ष –2059– लोक निर्माण कार्य, उपमुख्यशीर्ष –80– सामान्य, लघुशीर्ष –053– रखरखाव तथा मरम्मत, उपशीर्ष –0018– इंजीनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय और संस्थाओं के भवनों का अनुरक्षण एवं मरम्मत (विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग सम्प्रति विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग) के अधीन **"27 02– अनुरक्षण एवं मरम्मत"** विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से किया जाएगा, जिसका **विपत्र कोड 03–2059800530018** है।

3. उक्त प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध राशि विमुक्ति संबंधी व्ययादेश/आवंटनादेश, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा पटना भवन प्रमंडल, पटना/विद्युत भवन प्रमंडल सं०–01, पटना को प्रदान किया जायेगा।

4. उक्त स्वीकृत राशि के विरूद्ध निर्गत आवंटन के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्राधिकृत/विनिर्दिष्ट कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, पटना/विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत भवन प्रमंडल सं०–01, भवन निर्माण विभाग, पटना होंगे।

5. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्यय, बिहार वित्त नियमावली, बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली–2024 एवं वित्त विभाग के विभिन्न पत्रों एवं निदेशों के आलोक में की जाएगी।

6. उक्त स्वीकृत राशि के विरूद्ध निर्गत आवंटन की सीमा तक राशि की निकासी नियमानुसार जिला कोषागार, पटना से की जायेगी।

7. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2025–26 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

8. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888/वि०, दिनांक–03.12.2024 के आलोक में सक्षम स्वीकृति प्राधिकार के अनुमोदनोपरान्त आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– वि॰प्रा॰ एवं त०शि०वि० (IV) यो०–43/2020 के पृ॰– 251/टि० पर है।

9. वित्त विभाग के पत्रांक–7355 वि (2), दिनांक–05.10.2007 के अनुसार इस योजनान्तर्गत राशि की निकासी के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/–

(कुमार सिद्धार्थ)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ एवं त०शि०वि० (IV) यो०–43/2020– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ एवं त०शि०वि० (IV) यो०–43/2020– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– सचिव/अभियंता प्रमुख –सह– अपर आयुक्त –सह– विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ एवं त०शि०वि० (IV) यो०–43/2020– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ एवं त०शि०वि० (IV) यो०–43/2020– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, पटना/विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत भवन प्रमंडल सं०–01, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ एवं त०शि०वि० (IV) यो०–43/2020– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– परियोजना निदेशक, बी०सी०एस०टी०, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ एवं त०शि०वि० (IV) यो०–43/2020– 4921 **/पटना, दिनांक–** 04/9/25

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/मोनिका ठाकुर, विशेष कार्य पदाधिकारी/सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/आई॰टी॰ मैनेजर (E-mail एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव